# ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

## भाग—एक

1. **प्रस्तावना (क):—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत रौंखर में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—**

**प्रधान :—**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमति नीलम कुमारी | 01.04.2022 से 31.03.2024 |

**सचिव :—**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री दीपक कुमार | 01.04.2022 से 08.09.2022 |
| 2 | श्रीमति अर्चना देवी | 09.09.2022 से 28.03.2023 |
| 3 | श्री विजय कुमार | 29.09.2023 से लगातार |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—**

ग्राम पंचायत रौंखर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरिक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

| क्र0 सं0 | पैरा संख्या | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.1 | पंचायत के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना | 1.00 |
| 2 | 5 | अनुदान का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | 9.12 |
| 3 | 6 | पंचायत राजस्व वसूली हेतू शेष पाया जाना । | 0.28 |
| 4 | 6.1 | विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना । | 0.07 |
| 5 | 7 | रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप आपूर्तिकर्ता को अधिक/अनियमित भुगतान | 0.64 |
| 6 | 8 | औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना भुगतान करना । | 1.97 |
| 7 | 10 | 15वें वित्तायोग से आरटीजीएस से भुगतान करना । | 1.78 |
| 8 | 11 | प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में राशि के अन्तर बारे | 2.24 |

**(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–**

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई, उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

**1 अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017**

| क0 सं0 | पैरा संख्या | निर्णीत/अनिर्णीत । |
|---|---|---|
| 1 | 3 | अनिर्णीत |
| 2 | 4 | निर्णीत, प्रस्तुत उत्तर के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है । |
| 3 | 5 | निर्णीत, प्रस्तुत उत्तर के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है |
| 4 | 6 | निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित । |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 7 | निर्णीत, प्रस्तुत उत्तर के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है |
| 6 | 8 | अनिर्णीत । |
| 7 | 9 | निर्णीत, प्रस्तुत उत्तर के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है |
| 8 | 10 | अनिर्णीत । |
| 9 | 11 | अनिर्णीत । |
| 10 | 12 | अनिर्णीत । |
| 11 | 13 | अनिर्णीत । |

## भाग–दो

**2. वर्तमान अंकेक्षण :–**

ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.06.2024 से 21.06.2024 व 01.07.2024 से 03.07.2024तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

| वित्तीय वर्श | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2022–2023 | 03/2023 | 05/2022 |
| 2023–2024 | 06/2023 | 06/2023 |

**अस्वीकरण (Disclaimer)** :–इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन

पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 265 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्रॉफ्ट संख्या 124441 दिनांक 15.07.2024 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दी गई है ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

**(1) स्वः स्त्रोत** :– ग्राम पंचायत रौंखरके अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | –2251.09 | 66230.00 | 5612.00 | 69590.91 | 64956.00 | 4634.91 |
| 2023–24 | 4634.91 | 96286.72 | 4405.00 | 105326.63 | 14195.00 | 91131.63 |

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत रौंखर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है :–

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | 543013.95 | 4193822.00 | 18828.77 | 4755664.72 | 3731478.00 | 1024186.72 |
| 2023–24 | 1024186.72 | 3780602.86 | 27916.23 | 4832705.81 | 3920815.81 | 911890.00 |

**बैंक समाधान विवरणी :–**

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, 15th FC,SBM,NTHM,SDP,MPLAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| A/c No. 20012008236 | KCCB Nagrota Bagwan | | 156371.09 |
| A/c No. 5074101001814 | Kanara Bank Nagrota Bagwan | | 846250.00 |
| cash in hand | | | 400.54 |
| | | **Total** | **103021.63** |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source) | | | 91131.63 |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 | | | 840.00 |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 | | | 33000.00 |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 | | | 846250.00 |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 | | | 21800.00 |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 | | | 10000.00 |
| | | **Total** | **1003021.63** |
| | | **diffrence** | **0** |

**4.1 पंचायत के लेखें खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–**

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 266 दिनांक 18.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 18.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. **अनुदान राशि ₹09.12 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹9,11,890/–की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जाने वाले विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है ।

उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों से अवगत करवाते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**6. पंचायत राजस्व राशि ₹0.28 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि पर्याप्त कारणों के बिना परादेय/अदत्त (oustanding) नहीं रखी जायेगी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार **(परिशिष्ट–2)** पंचायत का कुल राजस्व सम्पत्ति कर ₹27,500/–वसूली हेतु शेष थाः–

**सम्पति कर :–**

| वर्ष | अथशेष (₹) | गृहकर की माँग (₹) | योग (₹) | प्राप्ति (₹) | वसूली हेतू शेष राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | 10100 | 43900 | 54000 | 35900 | 18100 |
| 2023–24 | 18100 | 44400 | 62500 | 35000 | 27500 |

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 267 दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 18.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹27500/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः नियमानुसार पंचायत राजस्व को अदत्त (outstanding) रखने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

**6.2 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹7,000/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–**

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार वर्ष 2022—23 व 2023—24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹7,000/—**प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :—

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्श | विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2022—23 | 1800.00 |
| 2 | 2023—24 | 5200.00 |

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 268 दिनांक 03.07.24 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 18.07.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7. **आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित समर्थित अभिलेख की अनुपस्थिति में राशि ₹0.64 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानिः—**

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर

द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹63,898/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 269 दिनांक 03.07.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 18.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹63,898/–के अनियमित भुगतान को या तो पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी से सम्पर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and

Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

| बिल का विवरण | मद नाम | मात्रा (cft) | मात्रा (cum) | निर्धारित फैक्टर | मात्रा मिट्रिक टन | रॉयल्टी (प्रति मि0 टन) | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23 व 2023–24 | रेत | 6890 | 195.12 | 1.62 | 316.09 | 80 | 25287.00 |
| | बजरी | 7501 | 212.43 | 1.52 | 322.89 | 80 | 25831.00 |
| | | | | | | कुल : | **51118.00** |
| | | | | | | पैनल्टी 25 % | 12780.00 |
| | | | | | | **कुल योग:** | **63898.00** |

**8. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.97 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹1,97,390/–के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 270 दिनांक 03.07.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 18.07.2024 द्वारा अंकेक्षण

को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः कृत व्यय हेतु बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

| वाउचर संख्या व दिनांक | बिल का विवरण | सामग्री का विवरण | राशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 01, 08.04.22 | बिल नं0 33 दि0 08.04.22 शिव शक्ति टैंट हाउस | टैंट इत्यादि | 12840.00 | कार्यालय व्यय सभा निधि |
| 14, 15.07.22 | बिल नं0 40 दि0 15.07.22 वरूण एण्टरप्राईजिज | वाटर कूलर | 28000.00 | कार्यालय व्यय सभा निधि |
| 03, 25.05.22 | बिल नं0 115 दि0 19.05.22 बाल कृष्ण जनरल स्टोर | स्टेशनरी | 6600.00 | कार्यालय व्यय 15th FC |
| 04, 04.08.22 | बिल नं0 66,67 दि0 04.08.22 एस0एस0 ट्रेडर्ज | मुरम्मत सोलर लाईट | 110000.00 | 15th FC |
| 05, 05.09.22 | बिल नं0 119 दि0 04.09.22 बाल कृष्ण जनरल स्टोर | स्टेशनरी | 7100.00 | कार्यालय व्यय 15th FC |
| 06, 06.09.22 | बिल नं0 138,139 दि0 6.9.22 सन्दीप कुमार | मु0 प्रिन्टर, प्रिन्टर खरीद | 28000.00 | कार्यालय व्यय 15th FC |
| 07, 07.09.22 | बिल नं0 114 दि0 04.08.22 बाल कृष्ण जनरल स्टोर | स्टेशनरी | 4850.00 | कार्यालय व्यय 15th FC |
| | | | **197390.00** | |

**9. सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूल की गई ₹0.25 लाख को बैंक मे जमा न करवाने बारे।**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रसीद संख्या 195001 से 195093 दिनांक 15.01.2022 सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में ₹25150/– कीं राशि वसूल की गई

परन्तु इस राशि को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया था न ही बैंक में जमा नहीं करवाया गया था। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 271 दिनांक 03.07.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 18.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर के रूप में वसूल की गई राशि को खाता सख्या 20012008236 दिनांक 03.07.2024 को जमा करवा दी गई है जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 68 पर दर्ज कर दी गई है । जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है ।

अतः भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

**10. 15वाँ वित्तायोग से ₹1.78 लाख की अदायगी आरटीजीएस से करने बारे ।**

निदेशक, पचांयत राज हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या PCH7HC(10)1/2018-15th FC-55916-56007 दिनांक 31.08.2020 के अनुसार 15वें वित्तायोग की कोई भी किशत ग्राम पंचायत में प्राप्त होती है या किस्त से कोई खर्चा ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है तो उसे जल्द ही ई–ग्राम स्वराज पोर्टल/ऑनलाईन रोकड़ बही पर अपलोड/दर्ज करना है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 15वें वित्तायोग से ₹178350.00 की राशि की अदायगी पीएफएमएस/ ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से न करके आरटीजीएस के माध्यम से की गई थी जोकि उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अवहेलना है । अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 272 दिनांक 03.07.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक

18.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

| वाउचर संख्या व दिनांक | बिल का विवरण | सामग्री का विवरण | राशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 01, 02.04.22 | बिल नं0 113 दि0 01.04.22 बाल कृष्ण जनरल स्टोर | स्टेशनरी | 4500.00 | कार्यालय व्यय 15th FC |
| 01/01, 13.04.22 | बिल नं0 शून्य दि0 28.03.22 स्वरूप चन्द | मीटिंग | 6300.00 | कार्यालय व्यय 15th FC |
| 02, 10.05.22 | बिल नं0 133 दि0 09.05.22 राज कुमार | बोर्ड पेंन्टिग | 3500.00 | कार्यालय व्यय 15th FC |
| 03, 25.05.22 | बिल नं0 115 दि0 19.05.22 बाल कृष्ण जनरल स्टोर | स्टेशनरी | 6600.00 | कार्यालय व्यय 15thFC |
| 04, 04.08.22 | बिल नं0 66,67 दि0 04.08.22 एस0एस0 ट्रेडर्ज | मुरम्मत सोलर लाईट | 110000.00 | 15th FC |
| 05, 05.09.22 | बिल नं0 119 दि0 04.09.22 बाल कृष्ण जनरल स्टोर | स्टेशनरी | 7100.00 | कार्यालय व्यय 15th FC |
| 06, 06.09.22 | बिल नं0 138,139 दि0 6.9.22 सन्दीप कुमार | मु0 प्रिन्टर, प्रिन्टर खरीद | 28000.00 | कार्यालय व्यय 15th FC |
| 07, 07.09.22 | बिल नं0 114 दि0 04.08.22 बाल कृष्ण जनरल स्टोर | स्टेशनरी | 4850.00 | कार्यालय व्यय 15th FC |
| 08, 07.09.22 | बिल नं0 410 दि0 शून्य सरस्वती आर्ट | बोर्ड पेंन्टिग | 7500.00 | कार्यालय व्यय 15th FC |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें अन्यथा ₹1,78,350.00 की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जाये ।

**11. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹2.24 लाख की राशि के अन्तर बारेः—**

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ—साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई—पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे हैं, उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹2,24,011/—की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः—

| | | |
|---|---|---|
| 31.03.2023 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष | ₹ | 1227032.63 |
| 31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष | ₹ | 1003021.63 |
| अन्तर | ₹ | 224011.00 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 273 दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 04 दिनांक 18.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट बेबसाईट वाधित होने व गलत प्रविष्टि होने के कारण अन्तर है उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः कृत अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

**12. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था। लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं अपूर्णता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग एवं रिसन (leakage) की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

| क्र0सं0 | रजिस्टर का प्रकार/विवरण | प्रारूप | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर | 4 | 13(5) |
| 2 | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 9 | 30 |
| 3 | विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 | 7 | 34 |
| 4 | प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर | 10 | 33, 77(4) |
| 5 | बजट प्राकल्लन | 11, 12 | 37, 38 |
| 6 | बिल रजिस्टर | 13 | 48 |
| 7 | मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर | 27 | 72 (1)(ग) |
| 8 | माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर | | 101(2) (V) |
| 9 | वर्गीकृत सार | 8 | 29 (4) |

**13.** **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**14.** **लघु आपित्त विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

**15.** **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

03 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

4413 – 4417 का0/50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)202/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्या कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत रौंखर, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/50

परिशिष्ट-1
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 के सन्दर्भ में)

**Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "RAUNKHAR" for the year ε 2022-23**

| Sr.no. | Particulars | Op.Balance | Receipt | Interest | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 SFC | 3100 | 326710 | 0 | 329810 | 316800 | 13010 |
| 2 | VKVNY | 225670 | 0 | 0 | 225670 | 71540 | 154130 |
| 3 | 14TH FC | 772.95 | 0 | 4160.77 | 4933.72 | 0 | 4933.72 |
| 4 | 15TH FC | 303769 | 769209 | 14668 | 1087646 | 249735 | 837911 |
| 5 | SDRF | -22098 | 4500 | 0 | -17598 | 0 | -17598 |
| 6 | SBM | 21800 | 0 | 0 | 21800 | 0 | 21800 |
| 7 | NRHM | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 8 | MNREGA | 0 | 3093403 | 0 | 3093403 | 3093403 | 0 |
| | Total Rs. | 543013.95 | 4193822 | 18828.77 | 4755664.72 | 3731478 | 1024186.72 |

**Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "RAUNKHAR" for the year ε 2023-24**

| Sr.no. | Particulars | Op.Balance | Receipt | interest | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 SFC | 13010 | 457487 | 0 | 470497 | 469657 | 840 |
| 2 | VKVNY | 154130 | 182000 | 0 | 336130 | 303130 | 33000 |
| 3 | 14TH FC | 4933.72 | 0 | 80.23 | 5013.95 | 5013.95 | 0 |
| 4 | 15TH FC | 837911 | 737739 | 27836 | 1603486 | 757236 | 846250 |
| 5 | SDRF | -17598 | 17598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SBM | 21800 | 0 | 0 | 21800 | 0 | 21800 |
| 7 | NRHM | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 8 | MNREGA | 0 | 2385778.86 | 0 | 2385778.86 | 2385778.86 | 0 |
| | Total Rs. | 1024186.72 | 3780602.86 | 27916.23 | 4832705.81 | 3920815.81 | 911890 |

**Balance as per Bank on 31.03.24**

1 **Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SBM,NRHM,SDP,MPLAD**

| | | |
|---|---|---|
| A/c No. 20012008236 KCC BANK NAGROTA BAGWAN | | 156371.09 |
| A/c No. 5074101001814 | CANARA BANK Nagrota Bagwan 15th FC | 846250 |
| cash in hand | | 400.54 |
| | total | **1003021.63** |

| | | |
|---|---|---|
| Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source) | | 91131.63 |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 | 5TH FSC | 840 |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 | VKVNY | 33000 |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 | 14th FC | 0 |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 | 15TH FC | 846250 |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 | SBM | 21800 |
| Cash Book Balance on 31.03.2024 | NRHM | 10000 |
| | **Total** | **1003021.63** |
| | diffrence | 0 |

Neelam Kumari

Pardhan Secretary
Gram Panchayat Raunkhar
Dev. Block Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.)

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

**Financial Position of Own sources in r/o RAUNKHAR**

| Years | Op.Balance | Receipt | Instt. | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | -2251.09 | 66230 | 5612 | 69590.91 | 64956 | 4634.91 |
| 2023-24 | 4634.91 | 96286.72 | 4405 | 105326.63 | 14195 | 91131.63 |

Neelam Kumari

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

Pardhan Secretary
Gram Panchayat Raunkhar
Dev. Block Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट -2
(ओपन प्रोपर्टी के पैरा संख्या 6 के सन्दर्भ में)

**List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o** GP Raunkhar **Distt.Kangra,H.P.**

| Years | Op.Balance | Demand during the year | Total | Collection during the year | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 10100 | 43900 | 54000 | 35900 | 18100 |
| 2023-24 | 18100 | 44400 | 62500 | 35000 | 27500 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Neelam Kumari (signature)

Pardhan Secretary
Gram Panchayat Raunkhar
Dev. Block Nagrota Bagwan
Distt. Kangra (H.P.)

अनुबंध - 3 (अभिलेख प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

Name of Gram Panchayat Raunkhar Dev. Block Nagrota Bagwan Distt Kangra (H.P)

**2022-2023 And 2023-2024**

| Sr. No. | Name Of work | Head | vendor name | voucher no and date | Bill no | Payment Date | Sand Cft | Bajri Cft | Boulder | Bricks no. | Amount Rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/O Bhoomi Sanrakshan Ravinder Kumar aur Tilak Raj ki Jameen Ki Aur (1304009435/FP/8000088217) | FP | Satvinder Enterprices | 10-11-21 | 36 | 25-05-22 | 400 | 500 | 0 | 0 | 34200 |
| 2 | | | Satvinder Enterprices | 22-11-21 | 37 | 25-05-22 | 300 | 400 | 0 | 0 | 26500 |
| 3 | C/O Bhoomi Sanrakshan v Kuhal Pulli Se Ram Chand ,Prashotam Chand,Ravinder Kahlon v Pritam Ke Ghar Ki aur | LD | Satvinder Enterprices | 18-08-21 | 33 | 25-05-22 | 600 | 600 | 0 | 0 | 46200 |
| 4 | C/O Rasta Main Sadak Se Om Prakash Ke Ghar Ki Aur W.No.2 (1304009435/RC/8000120473) | RC | Satvinder Enterprices | 18-08-21 | 34 | 25-05-22 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 68400 |
| 5 | C/O Rasta Kashmir Singh Ke Ghar se Lekar Raj kumar ke Ghar ki Aur W.No.2 (1304009435/RC/8000126493) | RC | Satvinder Enterprices | 10-01-22 | 41 | 25-05-22 | 600 | 600 | 0 | 0 | 46200 |
| 6 | | | Satvinder Enterprices | 18-01-22 | 43 | 25-05-22 | 300 | 400 | 0 | 0 | 26500 |
| 7 | C/O Rasta Desh Raj ke Ghar se Amar Singh Ke Ghar Ki Aur W.No.5 (1304009435/RC/8000126494) | RC | Satvinder Enterprices | 08-01-22 | 40 | 25-05-22 | 600 | 600 | 0 | 0 | 46200 |
| 8 | | | Satvinder Enterprices | 18-01-22 | 42 | 25-05-22 | 100 | 200 | 0 | 0 | 11100 |
| 9 | C/O Suraksha Deewar / khel Ka Maidaan (1304009435/AV/8000044255) | AV | Satvinder Enterprices | 06-10-22 | 80 | 23-06-23 | 350 | 0 | 0 | 0 | 15190.01 |
| 10 | | | Satvinder Enterprices | 06-10-22 | 81 | 23-06-23 | 0 | 350 | 0 | 0 | 19677.5 |
| 11 | C/O Main Raste Ka Danga Raksh Pal ke Shed ke Pass (1304009435/FP/8000084794) | FP | Satvinder Enterprices | 05-07-22 | 60 | 23-06-23 | 600 | 0 | 0 | 0 | 26364.78 |
| 12 | C/O Bhoomi Sanrakshan Rasta ke Sath Near Surjeet Ke Ghar Ke Pass W.No.4 (1304009435/FP/8000095049) | FP | Satvinder Enterprices | 06-07-22 | 62 | 23-06-23 | 190 | 260 | 0 | 0 | 20024.54 |
| 13 | C/O Bhoomi Sanrakshan Puli Se Lekar Brajeshvar kee Jameen ki Aur W.No.1 (1304009435/FP/8000095580) | FP | Satvinder Enterprices | 11-07-22 | 70 | 23-06-23 | 400 | 400 | 0 | 0 | 32141.2 |
| 14 | C/O Bhoomi Sanrakshan Kutt Mai Prashotam lal ki Jameen Ke Pass (1304009435/FP/8000095582) | FP | Satvinder Enterprices | 11-10-22 | 82 | 23-06-23 | 340 | 660 | 0 | 0 | 37539.19 |
| 15 | C/O Rasta/Bhoomi Sanrakshan Ranjeet Ke Ghar Se Subhash Ke Ghar Ki Aur W.No.2 (1304009435/RC/8000136262) | RC | Satvinder Enterprices | 12-07-22 | 71 | 23-06-23 | 600 | 600 | 0 | 0 | 52742.4 |
| 16 | C/O Rasta ottar Aam Se Main Sadak Ki Aur W.No.3 (1304009435/RC/8000136263) | RC | Satvinder Enterprices | 12-07-22 | 72 | 23-06-23 | 500 | 500 | 0 | 0 | 40430.99 |
| 17 | C/O Jal Sangrahan Talab Rakesh Kumar S/O Prashotam Lal (1304009435/WC/8000099253) | WC | Satvinder Enterprices | 14-07-22 | 79 | 23-06-23 | 120 | 181 | 0 | | 15139.68 |
| | | | Satvinder Enterprices | 19-12-22 | 93 | 23-06-23 | 90 | 250 | 0 | 0 | 12475.36 |
| | | | | | | | 6890 | 7501 | | | |

21